

भारत सरकार के अधीन पहुंच पर नियुक्ति के लिये जनजाति करने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अधिकारीयों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रबन्ध

प्रमाणित किया जाता है कि मी/ श्रीमति/ कुमारप्रिया पुत्र/पुत्री स्त्रीलोभ
निवासी इकाई ग्राम/कस्बा इकाई जिला/संभाग कुरीली/अरतपुर
राज्य/संघ धर्म इन्द्रधन नगर के निवासी (जीनी) सुनदाय जो निम्नलिखित आदेश के
कानून अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभ मानवानुपात है
1. सर्विदान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 उत्तर जाति 1950 साल - क्र. अंक: - 312 दि 08/05/02
सर्विदान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 क्र. अंक: कुमारप्रिया
सर्विदान (अनुसूचित जाति, संघ धर्म) आदेश, 1951

सर्विदान (अनुसूचित जनजाति संघ धर्म) आदेश, 1951 एवं अनुसूचित जनजाति (परिशोधन) आदेश 1950 मुद्रित रिकार्डनाइज़ेशन एकट 1000 रुपया
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (परिशोधन) आदेश 1950 मूर्त्तीस्तर दोनों रिकार्डनाइज़ेशन एकट 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
रिकार्डनाइज़ेशन एकट 1989, मूर्त्तीस्तर दोनों रिकार्डनाइज़ेशन एकट 1971 एवं अनुसूचित जाति आदेश, 1958,
आदेश (रांझीधन) अधिनियम, 1970 द्वारा संधारणाधीनित सर्विदान (जन्म एवं करणीय) अनुसूचित जाति आदेश, 1958, अनुसूचित जनजाति आदेश, 1958, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति अदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित

सर्विदान (इकाई एवं नागर हैवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

सर्विदान (इकाई एवं नागर हैवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

सर्विदान (प्रांडीधन) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

सर्विदान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1987

सर्विदान (गोदा दमन एवं चीम) अनुसूचित जाति आदेश, 1988

सर्विदान (गोदा दमन एवं चीम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1988

सर्विदान (नागार्लैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

सर्विदान (किंविकम) अनुसूचित जाति आदेश, 1970

सर्विदान (पिंकिवाम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

सर्विदान (जन्म एवं करणीय) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1993

सर्विदान (जन्म एवं करणीय) आदेश (संशोधन) 1990

सर्विदान (जन्म एवं करणीय) आदेश (संशोधन) 1991

सर्विदान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन), 1991

सर्विदान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1990

सर्विदान (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) 2002

सर्विदान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) 2002

सर्विदान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) 2002

२. यह उन अनुसूचित जाति/जनजाति के बामले के लागू हैं जो एक संघ/संघ धर्म प्रशासन से प्रत्यावर्तिय हुए
हैं। यह प्रामाण यज्ञ श्री/ श्रीमति/ कुमारी के पिता/ माता/ मी/ श्रीमति

निवासी प्राम/ कस्बा जिला/ संभाग प्रदेश/ जाति/ संघ धर्म में द्वारा जारी

संघ धर्म को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के अध्यार पर जारी

किया गया था। इसका द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं।

3. मी/ श्रीमति उमप्रिया तथा या उनका परिवार सामान्यतः प्राम/ कस्बा इकाई

जिला/ संभाग कुरीली/अरतपुर राज्य/ संघ धर्म में रहते/रहता है।

राज्य/ संघ धर्म इन्द्रधन धारा

स्थान कुरीली

दिनांक

जो राज्य लागू न हो, उसके काट दें।

कुमारी राष्ट्रपति का विभिन्न आदेश उद्धृत करें।

जो अनुच्छेद लागू न हो, उसके काट दें।

17/01/2016

टिप्पणी: यहां प्रस्तुत सामाजिकता का वही अर्थ होगा जैसा कि यह प्राप्तिनिधित्व अधिनियम 1950 खण्ड 20 में है

टिप्पणी: यहां प्रस्तुत सामाजिकता का वही अर्थ होगा जैसा कि यह प्राप्तिनिधित्व अधिनियम 1950 खण्ड 20 में है

1. धिला मजिस्ट्रेट/अवर मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपमुख/जाह उपमुख/हिन्दी कलेक्टर/प्रधान गोंदी के

रहाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/संघ लिंग्विकट पजिस्ट्रेट/एक्सीम्यूटिय गजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक

शायुल (प्रधान गोंदी स्टाइलेंडरी मजिस्ट्रेट के नीचे ऐक न हो)

2. द्वीप ग्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

3. राजस्त अधिकारी जो तहसीलदार ने नीचे के ऐक को न हो

4. उत्तर क्षेत्र का नव लिंग्विकट सामाजिकता जो अधिकारी नीचे उत्तर क्षेत्र का लिंग्विकट कार्यकारी द्वारा नीचे स्थित

जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

5. उत्तर क्षेत्र का नव लिंग्विकट सामाजिकता जो अधिकारी नीचे उत्तर क्षेत्र का लिंग्विकट कार्यकारी द्वारा नीचे स्थित

जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

6. उत्तर क्षेत्र का नव लिंग्विकट सामाजिकता जो अधिकारी नीचे उत्तर क्षेत्र का लिंग्विकट कार्यकारी द्वारा नीचे स्थित

जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।



उचित निवासी मजिस्ट्रेट
(कार्यालयीक दस्तावेज़)